संख्या-104/2025/84के-2/22-3-2025-17(205)/25

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 09 अप्रैल, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी भारत सिंह पुत्र श्री दयाराम शाक्य, निवासी जनपद-औरैया, की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-1910/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.01.2025) दिनांक-15.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी भारत सिंह (बंदी संख्या-27664) पुत्र श्री दयाराम शाक्य, जो ग्राम-रूपपुरा, थाना-एरवा कटरा, जनपद-औरैया का निवासी है। फिरौती के उद्देश्य से ढाई लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 24-05-2006 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चंचल उर्फ शिवेन्द्र सिंह (11 वर्ष) का अपहरण कर हत्या कर दी तथा लाश को घर के कमरे में गाढ़ दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-3/2007 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, औरैया के आदेश दिनांक 30-11-2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त के अतिरिक्त अतिरिक्त बंदी को जी0एस0टी0 सं0-189/2012 में यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की धारा-3(1) के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, द0प्र0क्ष0, औरैया के आदेश दिनांक 27-08-2016 द्वारा 06 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 30-01-2022 तक 15 वर्ष, 04 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 11 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु रजिस्टर नं0-1 के अनुसार 54 वर्ष है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी अपराधी किस्म का व्यक्ति होने के कारण भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जघन्य अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी भारत सिंह पुत्र श्री दयाराम शाक्य को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी भारत सिंह (बंदी संख्या-27664) पुत्र श्री दयाराम शाक्य, निवासी जनपद-औरैया के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-84(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, औरैया।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-104/2025/84के-2/22-3-2025-17(205)/25

दिनांक 09 अप्रैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी भारत सिंह (बंदी संख्या-27664) पुत्र श्री दयाराम शाक्य, जो ग्राम-रूपपुरा, थाना-एरवा कटरा, जनपद-औरैया का निवासी है। फिरौती के उद्देश्य से ढाई लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 24-05-2006 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चंचल उर्फ शिवेन्द्र सिंह (11 वर्ष) का अपहरण कर हत्या कर दी तथा लाश को घर के कमरे में गाढ़ दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-3/2007 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, औरैया के आदेश दिनांक 30-11-2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त के अतिरिक्त बंदी को जी0एस0टी0 सं0-189/2012 में यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की धारा-3(1) के अल्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, द0प्र0क्ष0, औरैया के आदेश दिनांक 27-08-2016 द्वारा 06 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 30-01-2022 तक 15 वर्ष, 04 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 11 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु रजिस्टर नं0-1 के अनुसार 54 वर्ष है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी अपराधी किस्म का व्यक्ति होने के कारण भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जघन्य अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी भारत सिंह पुत्र श्री दयाराम शाक्य को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in